पत्रांक 2882 Ad 21/08/2026

दिनांक 10.08.2026 को माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग **पटना की अध्यक्षता में 15 अगस्त 2026 तक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु चयनित जिलों के प्रगति के संबंध में की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–**

दिनांक 10.08.2026 को माननीय मंत्री, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में 15 अगस्त 2026 तक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु चयनित जिले यथा– लखीसराय, जहानाबद, अरवल, शेखपुरा एवं शिवहर में चल रहे सर्वेक्षण कार्यो की समीक्षा की गई जिसमें संबंधित जिले के बन्दोबस्त पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0) तथा श्री जय सिंह, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री सुहर्ष भगत, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, श्री सुबोध कुमार, सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप तथा निदेशालय में पदस्थापित अन्य नोडल पदाधिकारी भाग लिये, जिनसे परिचय के साथ बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

उक्त बैठक में प्राथमिकता वाले चयनित जिलों मे दिनांक 10.08.2026 तक चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यो अर्न्तगत प्रपत्र–20 से प्रपत्र–25 तक के प्रक्रमों की प्रगति निम्नवत् पायी गयी :–

प्रपत्र–20 से प्रपत्र–25 के प्रक्रम का प्रतिवेदन

दिनांक– 10.08.2026

क्र0	जिला का नाम	कुल मौजों की संख्या	प्रपत्र–20 प्रकाशित मौजों की संख्या (दिनांक 10.08.2026 तक)	दिनाक 15.05.2026 तक प्रपत्र–20 प्रकाशित मौजों की संख्या *	प्रपत्र–21 में आदेश पूर्ण मौजों की संख्या	प्रपत्र–21 में सुनवाई उपरांत तरमीम की स्थिति			प्रपत्र–25 प्रकाशित मौजों की संख्या
						अधिकार अभिलेख में तरमीम पूर्ण मौजों की संख्या	तरमीम हेतु एजेंसी को भेजे गये मानचित्रों की संख्या	एजेंसी द्वारा तरमीम उपरांत जिला में प्राप्त मानचित्रों की संख्या	
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
1	जहानाबाद	240	192	158	158	155	155	75	73
2	लखीसराय	401	198	124	124	116	111	80	116
3	शिवहर	80	43	24	24	24	24	15	19
4	अरवल	312	132	97	97	94	94	65	65
5	शेखपुरा	284	277	223	223	197	148	91	150
कुल योग		1317	842	626	626	586	532	326	423

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि 15 अगस्त 2026 तक चयनित पाँचों जिले के 1317 राजस्व ग्रामों में से कुल 626 राजस्व ग्रामों का प्रपत्र–25 में अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशन किया जाना है जिसकी सुनवाई दिनांक 31.07.2026 तक पूर्ण कर ली गयी है।

तत्पश्चात् निम्नांकित जिलों से उनके जिले में चल रहे सर्वेक्षण कार्य के संबंध में निम्नवत् समीक्षा की गई :–

1. समीक्षा के क्रम में बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा बताया गया कि उनके जिले में चल रहे सर्वेक्षण कार्य अर्न्तगत प्रपत्र–21 में पारित आदेश के अनुरूप ऑनलाइन/ऑफलाइन तरमीम, आदेश फलक अपलोडिंग, प्रपत्र–21 में प्राप्त दावा/आपत्ति के अभिलेख की संख्या एवं अभिलेख के विरूद्ध PVT की संख्या में भिन्नता

आदि अन्य विसंगतियाँ है। उनके द्वारा अधिकार अभिलेख में तरमीम की जाँच हेतु 06 जाँच दल का गठन किया गया है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से समीक्षात्मक बैठक में इस संबंध में संबंधित दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों को चिन्हित कर अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

उपरोक्त के आलोक में माननीय मंत्री द्वारा प्रश्नगत अवधि में बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा में पदस्थापित दोषी पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित कर उन्हें अंचलवार निदेशालय में उपस्थित होकर संबंधित समस्याओं का निराकरण करने हेतु निदेशित करने का निदेश दिया गया। यदि संबंधित चिन्हित दोषी पदाधिकारी/कर्मी द्वारा 02 दिन के अन्दर उपरोक्त निदेश का पालन नहीं किया जाता है तो बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा उनपर विधि सम्मत अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : निदेशालय में पदस्थापित संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा)

2. समीक्षा के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अंतिम अधिकार अभिलेख एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को भौतिक रूप में एवं डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने तथा विभागीय पोर्टल पर अपलोड किये जाने का प्रावधान रहने की सूचना प्रदत्त की गई।

इस संबंध में माननीय मंत्री द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में पूर्व से पदस्थापित राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो (लेवल–7 के पदाधिकारी) को प्रपत्र–25 में अंतिम प्रकाशन से पूर्व अभिलेखों एवं प्रपत्रों आदि को सुरक्षित रखने एवं उनका विभागीय पोर्टल पर अपलोडिंग एवं संबंधित रिकार्ड के संधारण को सुनिश्चित करने का दायित्व सौपने हेतु निदेशित किया गया, वे संबंधित अभिलेखों एवं प्रपत्रों आदि का सरंक्षण कराने हेतु नामित किये जायेंगे।

(अनुपालन : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार)

3. विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत संचालित जिलों में चल रहे सर्वेक्षण कार्य के आलोक में कतिपय जिलों में पदस्थापित नियमित लेवल–7, 9 एवं 11 के राजस्व पदाधिकारियों का आकलन कर आवश्यकतानुसार पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति करने संबंधी अधियाचना भेजने का निदेश सभी संबंधित बन्दोबस्त पदाधिकारियों को दिया गया।

निदेशालय में पदस्थापित संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी जिलों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर अपने स्पष्ट अनुशंसा के साथ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : प्रथम चरण के सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/निदेशालय में पदस्थापित नोडल पदाधिकारी)

4. समीक्षा के क्रम में सभी उपस्थित बन्दोबस्त पदाधिकारी को अपने जिलान्तर्गत प्राप्त आपत्तियों से संबंधित सभी अभिलेखों को मौजावार सूचीबद्ध कराने का निदेश दिया गया।

यह निदेश सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार हेतु यथावत् रहेगा।

5. बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत जिला अभिलेखों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का प्रावधान है। उक्त अभिलेखों का प्रक्रमवार संबंधित पोर्टल पर शत्–प्रतिशत् अपलोडिंग कराना सुनिश्चित करने का निदेश सभी उपस्थित बन्दोबस्त पदाधिकारियों को दिया गया।

यह निदेश सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार हेतु यथावत् रहेगा।

(अनुपालन : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार)

6. शिवहर जिला के समीक्षा के क्रम में कुल 80 मौजा में से अब तक मात्र 19 मौजों का प्रपत्र–25 में अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित पाये जाने पर रोष प्रकट करते हुये अधोहस्ताक्षरी द्वारा बन्दोबस्त पदाधिकारी, शिवहर को जिला में चल रहे सर्वेक्षण कार्यों के प्रत्येक प्रक्रम की ग्रामवार समीक्षा कर विलंब के लिये दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को चिन्हित कर अपने स्पष्ट अनुशंसा के साथ अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराने को निदेशित किया गया।

(अनुपालन : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार)

7. जहानाबाद जिले में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य के अन्तर्गत प्रपत्र–8 में रैयतों से प्राप्त दावा/आपत्ति की सुनवाई हेतु विभाग द्वारा पदस्थापित श्री अमित कुमार, राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो द्वारा लेवल–9 में अस्थायी प्रोन्नति का लाभ प्रदत्त किये जाने के फलस्वरूप प्रपत्र–8 की सुनवाई नहीं किये जाने की सूचना बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा दी गयी।

इस संबंध में बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा श्री कुमार पर सरकारी निदेश का अनुपालन नहीं करने एवं बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम जैसे सरकार के महत्वपूर्ण समयवद्ध कार्यक्रम के ससमय क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करने के कारण अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद)

8. माननीय मंत्री द्वारा माह नवम्बर 2026 तक सर्वेक्षण पूर्ण किये जाने हेतु अगले 05–06 जिलों को चयनित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : नोडल पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग)

9. सर्वेक्षण कार्य में संलग्न पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अन्यत्र कार्यो में प्रतिनियुक्त किये जाने की सूचना उपस्थित बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा देने के संबंध में सभी समाहर्त्ता, बिहार को सर्वे के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाने संबंधी पत्र उच्च स्तर से देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : श्री अनुपम प्रकाश, विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

10. समीक्षा के क्रम मे बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा जिला स्तर पर अतिरिक्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की मांग की गई।

इस संबंध में सभी बन्दोबस्त कार्यालयों से समन्वयन स्थापित कर उनसे प्राप्त अधियाचना के अनुरूप डाटा इन्ट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन से प्राप्त करने हेतु निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप को निदेश दिया गया। कार्य हित में संबंधित प्रमंडल के नोडल पदाधिकारी अपने–अपने आवंटित प्रमंडलों से दूरभाष पर अधियाचना प्राप्त कर समेकित रूप से निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप के समक्ष अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु उपस्थापित करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार / प्रशाखा पदाधिकारी,स्थापना / निदेशालय में पदस्थापित नोडल पदाधिकारी)

11. समीक्षा के क्रम में कतिपय जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा उनके जिले में विभाग द्वारा पदस्थापित लेवल–07, 09 एवं 11 के राजस्व पदाधिकारियों का पदस्थापन उनके जिले के स्वीकृत बल से अतिरिक्त होने के कारण उनके वेतनादि के भुगतान में तकनिकी / वित्तीय बाधा उत्पन्न होने की सूचना प्रदत्त की गई।

उक्त के आलोक में यथाशिघ्र नव पदस्थापित राजस्व सेवा के अतिरिक्त पदाधिकारियों के पदों का कर्णाकंन हेतु प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

अंत में बिहार राज्य हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम की महत्ता को बताते हुये उसे ससमय पूर्ण करने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाते हुये सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0 / –
(जय सिंह)
सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना

e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
स0सं0:– 03 / भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(05 जिला)–16 / 2026(खण्ड)

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(05 जिला)–16 / 2026(खण्ड) 2882 ....पटना, दिनांकः..... 21/08/26

प्रतिलिपि : सभी जिले के बन्दोबस्त पदाधिकारी / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0) / तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sd/- 21-8-26
सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(05 जिला)–16/2026(खण्ड) 2882 पटना, दिनांकः 21/08/2026

प्रतिलिपि : उप सचिव/सहायक निदेशक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/निदेशालय में पदस्थापित संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग/श्री अनुपम प्रकाश, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप विभागीय बेवसाई पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21-8-26

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(05 जिला)–16/2026(खण्ड) 2882 पटना, दिनांकः 21/08/2026

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि कार्यवाही के कंडिका–11 में अंकित निदेश के अनुपालन विभाग स्तर से अपेक्षित रहने के कारण अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु संबंधित प्रशाखा को निदेशित करने की कृपा की जाये।

21-8-26

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(05 जिला)–16/2026(खण्ड) 2882 पटना, दिनांकः 21/08/2026

प्रतिलिपि : निदेशक कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित।

21-8-26

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(05 जिला)–16/2026(खण्ड) 2882 पटना, दिनांकः 21/08/2026

प्रतिलिपि : सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

21-8-26

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(05 जिला)–16/2026(खण्ड) 2882 पटना, दिनांकः 21/08/2026

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

21-8-26

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,